

कार्यालय मुख्य अग्निशमन

अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल—cfohdr.ukfs@gmail.com

फोन नं०—01324-265700

पत्रांक: न-6/सीएफओ-आर/2023

दिनांक अगस्त 17, 2023।

स्वामी/प्रबन्धक,
केन्द्रीय विद्यालय नं०-01,
बीईजी० एण्ड सी०, रुड़की,
खजूर रोड, रुड़की, जनपद हरिद्वार।

विषय— प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालय भवन के Pre-Establishment प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिट नम्बर—56641675, दिनांक 03.08.2023 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये संलग्न मानचित्र का परिशीलन एवं स्थल का स्थलीय निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन रुड़की से कराया गया, प्रभारी फायर स्टेशन रुड़की की निरीक्षण आख्या दिनांक 08.08.2023 के अनुसार सील तक अग्निशमन का वाहन सुगमता से पहुँच सकता है, सील के ऊपर से कोई विद्युत लाईन लाईन नहीं जा रही है एवं विन्दु संख्या 01 से 12 तक के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु शरात संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।

आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित भवन का मानचित्र के अनुसार निर्माण के उपरान्त तथा भवन को उपयोग में लाये जाने से पूर्व अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानचित्र/नगरपाल यिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2016 के भाग-4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार कराकर तथा स्थानीय थाना, अस्पताल एवं फायर स्टेशन रुड़की का टेलीफोन नम्बर को मुख्य स्थान पर अंकित कराकर इस कार्यालय को सूचित करें भवन को प्रयोग में लाने से पूर्व व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन कराया जाये, व्यवस्था संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा भवन का निर्माण शासन द्वारा जारी भवन उपविधि में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप किया जाये तथा मानचित्र को प्राधिकृत संस्था से स्वीकृत कराये जाने के उपरान्त मानचित्र के अनुरूप भवन निर्माण कर प्रयोग में लाने से पूर्व इस कार्यालय से अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है भवन का मानचित्र के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त अनुबन्ध के साथ प्रभारी फायर स्टेशन रुड़की की संस्तुति आख्या एवं उप निदेशक महोदय (प्र०/तक०), अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुमोदन के उपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि उत्तराखण्ड तथा एन०बी०सी०-2016 में उल्लेखित जीवन सुरक्षा के मानकनुसार प्रावधान करते हुये प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य इस उपबन्ध के साथ कराया जाये कि भवन के मानचित्र में प्रदर्शित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं प्रभारी फायर स्टेशन रुड़की के संलग्न पत्र ने अंकित व्यवस्थाएँ/सुझाव के अनुरूप निर्माण पूर्ण होने तक पूर्ण करा ली जाने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, संस्थान के संचालन से पूर्व भवन के प्रयोग एवं गतिविधि को मध्यनजर रखते हुये किया गया फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी निरीक्षण के आधार पर सुझाये गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा सकता है एवं प्रभारी फायर स्टेशन रुड़की के संलग्न पत्र में अंकित सुझाये गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं को अन्तिम न समझा जाये तथा भवन निर्माण पूर्ण कर संलग्न के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था करने के उपरान्त पुनः ऑनलाईन आवेदन कर अन्तिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

संलग्नक: यथोपरि।

(अभिनव त्यागी)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हरिद्वार।

प्रतिलिपि: प्रभारी फायर स्टेशन रुड़की को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।